व्यक्तिगत ध्यानार्थ

संख्याःपीसीएच–एचए (1)5/2011-Stray Cattle - 25721-25836
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

सेवा में,

1. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
   हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
   हिमाचल प्रदेश।

Block Development Officer
Diary No. 1895
Date 12-9-25

शिमला–09

दिनांक 11 सितम्बर ,2025

विषयः– हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा (11–क) की अनुपालना हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग की छठी बैठक में माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2025 में निम्न निर्णय लिया गया है:–

*"जो भी व्यक्ति अपने **Tagged** पंजीकृत पशु को बेसहारा छोड़ता है उसे पंचायती राज अधिनियम के अनुसार तुरंत दंडित किया जाए।"*

उक्त के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 11–क (प्रति संलग्न) अनुसार (1) प्रत्येक परिवार का मुखिया, समय समय पर, किसी भी कारण से पशुओं की संख्या में कभी कोई परिवर्तन होता है, उसके परिवार के स्वामित्वाधीन पशु का विवरण या तो मौखिक रूप में या लिखित रूप में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान या पंचायत सचिव को देने के लिए या दिलवाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन पशुओं के ब्यौरों की प्राप्ति पर, ग्राम पंचायत पशुओं को रजिस्ट्रीकृत करेगी और उसके अभिलेख ऐसे प्ररूप में रखेगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए:

परन्तु ग्राम पंचायत ऐसी दर पर रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित कर सकेगी जैसी ग्राम पंचायत द्वारा नियत की जाए।

(3) ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक पशु पर समुचित पहचान चिन्ह लगाने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा रखे कर्मचारियों या व्यक्तियों की सहायता करे और पहचान के अभिलेख को बनाए रखे।

(4) प्रत्येक ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह उसकी अधिकारिता के भीतर भटकते (आवारा) पशुओं की पहचान कराने में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों या प्रतिनिधियों की सहायता करे।

P/
BDO
12-9-25

(5) पहचान चिन्ह वाला कोई पशु यदि भटकता (आवारा) पाया जाता है, तो पशु के स्वामी की पहचान ग्राम पंचायत स्वयं द्वारा बनाए रखे अभिलेख से करेगी और ऐसा स्वामी प्रथम अपराध के लिए पांच सौ रूपये और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में सात सौ रूपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा जो ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

(6) यदि ग्राम पंचायत ऐसे भटकते (आवारा) पशु की, पहचान चिन्ह के साथ छेड़–छाड़ या उस को विकृत करने के कारण पहचान करने में असफल रहती है तो वह ऐसे मामले की रिपोर्ट नजदीकी पशुपालन औषधालय के प्रभारी को करेगी जो भटकते (आवारा) पशु को नजदीकी गौसदन या गौशाला को सौंपेगा।

Scanned with OKEN Scanner

विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.11.2025 (प्रति संलग्न) के अनुसार पशुओं के पंजीकरण सम्बंधी आंकड़ों का संधारण ई–परिवार के माध्यम से किया जाना है जिसके संदर्भ में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। उक्त सर्वेक्षण के उपरांत संधारित रिकॉर्ड का अद्यतन कराने की जिम्मेदारी धारा 11–क (1) अनुसार प्रत्येक परिवार के मुखिया की होगी। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करें:

(1) ग्राम पंचायत में प्रत्येक परिवार के मुखिया को इन प्रावधानों से लिखित में नोटिस देकर अवगत कराएँ।

(2) वर्ष की चार ग्राम सभाओं में परिवार के मुखिया से सूचना प्राप्त करें एवं उक्त ई–परिवार रजिस्टर (फार्म ए/बी) को अपडेट करें। इसके लिए संबंधित पंचायत सचिव जिम्मेवार होंगे। इस पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायत पंजीकरण शुल्क निर्धारित करेगी जो उसकी निधि में जमा होगी।

(3) यदि पंचायत क्षेत्र में कोई बेसहारा पशु पाया जाता है तो पंचायत पशु के स्वामी की ई–परिवार रजिस्टर (फार्म ए/बी) से पहचान कर पशु को उसके स्वामी को सौंपेगी और पशु स्वामी को धारा 11–क (5) के अंतर्गत जुर्माना लगाएगी। बेसहारा पशु की पहचान न होने पर उसे निकटतम गौशाला भेजा जाएगा।

अतः उक्त सर्वेक्षण एवं पंजीकरण के आंकड़ों के आधार पर रिकॉर्ड का नियमित अद्यतन, बेसहारा पशुओं के स्वामियों की पहचान तथा दोषियों के विरूद्ध, पंचायती राज अधिनियम के अनुरूप, यथोचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः उपरोक्त।

भवदीय,

निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सख्याःउपरोक्त – 25837

शिमला–171009 दिनांक 11–09–2025

प्रतिलिपिः–निदेशक, पशु पालन एवं सदस्य सचिव हि०प्र० गो सेवा आयोग, शिमला–5 को उनके कार्यालय पत्र सं० जीएसए/2019–छठी बैठक–399 दिनांक 28 जुलाई,2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं० — 4612 दिनांक — 18-09-2025

प्रतिलिपि समस्त पंचायत सचिव, वि०ख० सोलन को नियमानुसार आदेश दिये जाते है कि पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः से पालन सुनिश्चित किया जाये।

Block Development Officer
Solan Distt. Solan(H.P)

Scanned with OKEN Scanner

Government of Himachal Pradesh,
Department of Panchayati Raj.

...

NO. PCH-HA(1)3/2019-Amendment (loose) Dated Shimla-171009, the 30-11-2024

NOTIFICATION

The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify Form-A (for the family entered in parivar register) and Form-B (for family not entered in parivar register) respectively, as annexed with this notification for registration of cattle and maintenance of records thereof by the Gram Panchayat, as required under sub-section (2) of section 11-A of the H.P. Panchayati Raj Act, 1994.

The said Register shall be maintained online through e-Parivar.

By order
Secretary (Panchayati Raj) to the
Government of Himachal Pradesh.

-48988-52768

Endst, No. PCH-HA(1)3/2019-Amendment (loose) Dated Shimla-171009, the 30-11-2024

Copy for information and necessary action forwarded to:-

1. All the Principal Secretaries/ Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. All the Heads of Department in H.P.
3. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
4. All the District Panchayat Officers-cum-Secretary, ZilaParishad H.P.
5. The Principals, PRTI, Mashobra, Thunag, Baijnath.
6. All the Block Development Officers-cum-Executive Officers of Panchayat Samitis in Himachal Pradesh.
7. All the Pradhans/Panchayat Secretaries, GPs in H.P.
8. e-Gazzette.
9. Guard File.

Special Secretary (Panchayati Raj) to the
Government of Himachal Pradesh.

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पंचायत में पशुओं के पंजीकरण और अभिलेख का अनुरक्षरण

Registration of cattle and maintenance of record in Gram Panchayat (for family entered in parivar register)

प्ररूप

Form-A

जिला _____ विकास खण्ड _____

District_____ **Development Block**_____

ग्राम पंचायत का नाम---------- गांव ---------- पशुपालक का नाम ----------

परिवार संख्या----------

Name of Gram Panchayat_____ **Village**_____ **Name of cattle owner**----------

Pariwar No.----------

पशु का प्रकार **Type of cattle**	पशु की नस्ल **Species/Breed of the cattle**	लिंग **Sex of the cattle**	आयु **Age of the cattle**	रंग **Colour of the cattle**	अंग जिस पर पशुपालन विभाग द्वारा पहचान निशान लगाया है **Body part where identification mark of the cattle applied by Animal Husbandry Department**	पशु के लिए पशुपालन विभाग द्वारा जारी किया गया पंजीकरण नम्बर **Registration No. issued for the cattle by Animal Husbandry Department**	पशु के इन्द्राज का कारण (जन्म/क्रय) **Reason for entry of cattle (Birth/Purchase)**
1	2	3	4	5	6	7	8

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पंचायत में पशुओं के पंजीकरण और अभिलेख का अनुरक्षारण

Registration of cattle and maintenance of record in Gram Panchayat (for Family not entered in parivar register)

प्ररूप

Form- B

जिला _____ विकास खण्ड _____

District _____ Development Block _____

ग्राम पंचायत का नाम _____ गांव _____ पशुपालक का नाम एवं पता _____

Name of Gram Panchayat _____ Village _____ Name of cattle owner & address _____

पशु का प्रकार Type of cattle	पशु की नस्ल Species/Breed of the cattle	लिंग Sex of the cattle	आयु Age of the cattle	रंग Colour of the cattle	अंग जिस पर पशुपालन विभाग द्वारा पहचान निशान लगाया है Body part where identification mark of the cattle applied by Animal Husbandry Department	पशु के लिए पशुपालन विभाग द्वारा जारी किया गया पंजीकरण नम्बर Registration No. issued for the cattle by Animal Husbandry Department	पशु के इन्द्राज का कारण (जन्म/क्रय) Reason for entry of cattle (Birth/Purchase)
1	2	3	4	5	6	7	8

Scanned with OKEN Scanner

[1]{11–क. **पशुओं का रजिस्ट्रीकरण और उसके लिए अभिलेख का अनुरक्षरण.**– (1) प्रत्येक परिवार का मुखिया, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ से एक मास की अवधि के भीतर और तत्पश्चात् समय समय पर, किसी भी कारण से पशुओं की संख्या में कभी कोई परिवर्तन होता है, उसके परिवार के स्वामित्वाधीन पशु का विवरण या तो मौखिक रूप में या लिखित रूप में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान या पंचायत सचिव को देने के लिए या दिलवाने के लिए उत्तारदायी होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन पशुओं के ब्यौरों की प्राप्ति पर, ग्राम पंचायत पशुओं को रजिस्ट्रीकृत करेगी और उसके अभिलेख ऐसे प्ररूप में रखेगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

परन्तु ग्राम पंचायत ऐसी दर पर रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित कर सकेगी जैसी ग्राम पंचायत द्वारा नियत की जाए।

(3) ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक पशु पर समुचित पहचान चिन्ह लगाने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा रखे गए कर्मचारियों या व्यक्तियों की सहायता करे और पहचान के अभिलेख को बनाए रखे।

(4) प्रत्येक ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह उसकी अधिकारिता के भीतर भटकते (आवारा) पशुओं की पहचान कराने में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों या प्रतिनिधियों की सहायता करे।

(5) पहचान चिन्ह वाला कोई पशु यदि भटकता (आवारा) पाया जाता है, तो पशु के स्वामी की पहचान ग्राम पंचायत स्वयं द्वारा बनाए रखे अभिलेख से करेगी और ऐसा स्वामी प्रथम अपराध के लिए [2]{पांच सौ} रूपये और द्वितीया या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में [3]{सात सौ} रूपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा जो ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

(6) यदि ग्राम पंचायत ऐसे भटकते (आवारा) पशु की, पहचान चिन्ह के साथ छेड़–छाड़ या उस को विकृत करने के कारण पहचान करने में असफल रहती है तो वह ऐसे मामले की रिपोर्ट नजदीकी पशुपालन औषधालय के प्रभारी को करेगी जो भटकते (आवारा) पशु को नजदीकी गौसदन या गौशाला को सौंपेगा।}

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 20) द्वारा धारा 11–क अंतःस्थापित की गई।
[2]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा "तीन सौ" शब्दों के स्थान रख गये।
[3]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा "पांच सौ" शब्दों के स्थान रखे गये।

Scanned with OKEN Scanner